

# सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat.net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 216 ● नई दिल्ली ● शनिवार 13 जून 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

**महिलाओं को खड़े ने राज्यसभा में पहिले का पूरा श्रेय सोनिया गांधी को दिया, कल- हर बौके पर मिला उनका साथ**

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष महिषाजुन खड़गे ने राज्यसभा के लिए अपने चुनाव का श्रेय पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी को दिया है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने उन्हें अपने पूरे राजनीतिक करियर में लोगों की सेवा करने के लिए प्रेरित किया है। पत्रकारों से बात करते हुए खड़गे ने कहा कि यह मेरा 13वां चुनाव है। मैं सोनिया गांधी का आभारी हूँ। उन्होंने मुझे लोगों की सेवा करने के लिए प्रेरित किया है। खड़गे उन का उम्मीदवारों में शामिल थे जिन्हें कल फार्मेट से राज्यसभा के लिए निर्वाचन हुआ था। नाम वापस लेने की समय-सीमा खत्म होने के बाद नतीजे की पुष्टि हुई, क्योंकि चार खाली सीटों के लिए मुकामले में केवल चार उम्मीदवार ही बचे थे, जिससे 18 जून को होने वाली वोटिंग की जरूरत नहीं रही।

रिपब्लिकन

मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail :

rmsdp@hotmail.com

अनापारिक गौता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

## क्या है संविधान का अनुच्छेद 329, जिसका हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

नई दिल्ली। मध्य प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने नामांकन खारिज करने के रिटिंग ऑफिसर के आदेश को चुनौती देने वाली मीनाक्षी नटराजन की याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। कोर्ट ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्हें जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत चुनाव याचिका दाखिल करने की छूट दी है। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और एमएस चंद्रशेखर की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 329 के प्रतिबंध का हवाला देते हुए अनुच्छेद 32 के तहत दाखिल की गई नटराजन की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और याचिका खारिज कर दी। हालांकि इससे पहले कोर्ट ने नटराजन के वकील अभिषेक मनु सिंघवी, प्रतिपक्षी वकील मुकुल

रोहतगी, कनु अग्रवाल, चुनाव आयोग की ओर से डीएस नायडू व मध्य प्रदेश सरकार की ओर से तुषार मेहता की दलीलें सुनीं। कांग्रेस ने क्या दिया था तर्क? अभिषेक मनु सिंघवी ने रिटिंग ऑफिसर के नामांकन खारिज करने के आदेश को गलत ठहराते हुए कहा कि जनप्रतिनिधित्व कानून को धारा 33ए कहती है कि दो साल से अधिक सजा वाले अपराध या जिन आपराधिक मामलों में अदालत ने आरोप तय कर दिये हों उनका ब्योरा हलफनामे में देना होगा। लेकिन जिस केस का खुलासा न करने के लिए रिटिंग ऑफिसर ने नामांकन रद्द किया है उसमें अदालत से आरोप तय नहीं हुए हैं। न ही अदालत ने संज्ञान लिया है अभी सिर्फ कोर्ट ने एक निजी शिकायत पर उन्हें समन जारी किया है। क्या बोले बीजेपी के वकील? जबकि प्रतिवादी बीजेपी की ओर से



पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने सिंघवी की दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि चुनाव लड़ना विधायी अधिकार है यह कोई मौलिक अधिकार नहीं है। ऐसे में इस संबंध में अनुच्छेद 32 के तहत दाखिल रिट याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं कर सकता क्योंकि अनुच्छेद 32 के तहत याचिका मौलिक अधिकारों के



उल्लंघन पर दाखिल की जाती है। रोहतगी का कहना था कि ऐसी किसी भी याचिका पर सुनवाई करने पर अनुच्छेद 329 स्पष्ट रूप से रोक लगाता है। उन्होंने यह भी कहा कि नियम के मुताबिक हलफनामे में सभी लंबित आपराधिक मामलों का ब्योरा देना होता है सिर्फ उन मामलों का नहीं जिनमें आरोप तय हुए हों। हालांकि

अनुच्छेद 32 के तहत दाखिल रिट याचिका पर सुनवाई पर सिंघवी की दलील थी कि अगर नामांकन खारिज करने में स्पष्ट रूप से गलती हुई है तो सुप्रीम कोर्ट पूर्ण न्याय करने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत दाखिल याचिका पर सुनवाई कर आदेश दे सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सिंघवी की दलीलों से सहमत नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा कि अगर सिंघवी की दलीलें स्वीकार की जाती हैं तो इसका मतलब है कि जिन मामलों में नामांकन खारिज होने में स्पष्ट गलती है तो कोर्ट उन्हें अनुच्छेद 32 और 226 के तहत दाखिल याचिकाओं में सुन सकता है, और जहां नामांकन खारिज होना पहली निगाह में स्पष्ट तौर पर उतना गलत नहीं है उन्हें चुनाव याचिकाओं के लिए भेज दिया जाए, ऐसा करने का मतलब है कि कोर्ट एक ऐसा सिद्धांत तय कर रहा है

जिसका जिक्र अनुच्छेद 329 में नहीं है। कोर्ट ने कहा कि इस व्याख्या को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। यह कहते हुए कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। हालांकि कोर्ट ने नटराजन को चुनाव याचिका दाखिल करने की छूट देते हुए यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले में कोर्ट ने केस की मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं की है। रिटिंग ऑफिसर अरविंद शर्मा ने गत 11 जून को मीनाक्षी नटराजन का नामांकन इस आधार पर खारिज कर दिया था कि उन्होंने नामांकन के साथ दिए गए फार्म 26 के हलफनामे में तेलंगाना की एक अदालत में उनके खिलाफ लंबित निजी शिकायत के केस का ब्योरा नहीं दिया था। नटराजन ने पहले इस संबंध में चुनाव आयोग को ज्ञापन दिया जब चुनाव आयोग से कोई जवाब नहीं मिला तो नटराजन ने सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दाखिल की थी।

## तुगलकाबाद में भयानक मंजर - ग्राउंड फ्लोर पर खड़े वाहनों में धधकी आग, धुआं पूरी इमारत में फैला; तीन की जान गई

नई दिल्ली ।

दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के गोविंदपुर के तुगलकाबाद इलाके में शुक्रवार तड़के एक बहुमंजिला रहस्यमयी इमारत में लगी भीषण आग में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच महिलाएं झुलस गईं। 70 साल की एक महिला समेत दो की गंभीर रूप से घायल हैं। दमकल कर्मियों ने साहसिक बचाव अभियान चलाकर कुल आठ लोगों को इमारत से बाहर निकाला और विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया। दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) के अनुसार, रात करीब 2:31 बजे तुगलकाबाद की गली नंबर-1 स्थित नया तारा अपार्टमेंट के पास एक मकान में आग लगने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। प्रारंभिक जांच में पता चला कि आग मकान के ग्राउंड फ्लोर पर खड़े वाहनों में लगी थी। इसके बाद धुआं तेजी से पूरी इमारत में फैल गया और कई लोग अंदर फंस गए।



दमकल विभाग के अनुसार, संबंधित इमारत ग्राउंड फ्लोर पांच मंजिला है और संकरी गली में स्थित होने के कारण रहत एवं बचाव कार्य में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद दमकल कर्मियों ने तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और सुबह तक आठ लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। अधिकारियों के मुताबिक, आग पर सुबह 3:45 बजे नियंत्रण पा लिया गया था, जबकि सुबह 4 बजे

आग पूरी तरह बुझा दी गई। इसके बाद भी इमारत में फंसे लोगों की तलाश और बचाव अभियान जारी रखा गया। डीएफएस के अनुसार, पांच महिलाओं को सफदरजंग अस्पताल के बर्न वार्ड में भर्ती कराया गया, जबकि दो महिलाओं और एक पुरुष को सीएटीएस एम्बुलेंस तथा पीसीआर की मदद से एम्स ट्रॉमा सेंटर के बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी वार्ड में पहुंचाया गया। सफदरजंग अस्पताल

में भर्ती दो महिलाओं को ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया, जबकि तीन महिलाओं का उपचार जारी है। वहीं, एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती एक पुरुष ने भी उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। अस्पताल में भर्ती दो अन्य महिलाओं की हालत गंभीर बताई जा रही है और उनका इलाज चल रहा है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि पार्किंग क्षेत्र में लगी आग से निकला घना धुआं तेजी से ऊपरी मंजिलों तक पहुंच गया, जिससे लोग इमारत में फंस गए। पुलिस और दमकल विभाग आग लगने के कारणों की जांच कर रहे हैं। पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान पंकज (28), उनकी मां गुड्डि (50) और उनकी बहन सोनी (20) के तौर पर हुई है; ये सभी इमारत की तीसरी मंजिल पर रहते थे। पुलिस ने बताया कि परिवार के दो अन्य सदस्य, पंकज की एक और बहन मोनी (18) और उनकी 70 वर्षीय नानी, गंभीर रूप से घायल हो गए और उनका इलाज चल रहा है।

## दिल्ली का पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा स्मार्ट और ग्रीन, सड़कों पर जल्द चलेगी 2,800 इलेक्ट्रिक एसी बसें

नई दिल्ली। दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आधुनिक, स्वच्छ और सुविधाजनक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। केंद्र सरकार की पीएम ई-इंड्रव योजना के जर्िए दिल्ली परिवहन निगम के बड़े में 2,800 नई एयर-कंडीशंड इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जाएंगी। इस पहल का मकसद राजधानी में क्लीन और स्मार्ट मोबिलिटी को बढ़ावा देना है। नई योजना के जर्िए कुल 2,800 इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जाएंगी, जिनमें 1,400 नई मीटर और 1,400 बाह्य मीटर लंबी बसें होंगी। इस दौरान बड़ी बसों को मुख्य और व्यस्त रूट्स पर चलाया जाएगा, जबकि छोटी बसें कॉलेजों और स्थानीय फ्रीडर रूट्स पर सेवा देंगी। इसके अलावा अगले चरण में 500 सात मीटर लंबी इलेक्ट्रिक बसें भी जोड़ी जाएंगी, जिनका मकसद लास्ट माइल कनेक्टिविटी को और मजबूत करना है। दिल्ली में फिलहाल लगभग 4,300 इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। नई बसों के शामिल होने के बाद यह संख्या तेजी से बढ़ेगी। सरकार का लक्ष्य साल के अंत तक इस संख्या को बढ़ाकर 7,500 तक पहुंचाने का है। इसके अलावा 2028-29 तक राजधानी में कुल बसों की संख्या लगभग 14,000 करने की योजना है। नई इलेक्ट्रिक बसों के आने से दिल्ली में योजना सफर करने वाले लाखों यात्रियों को बड़ा फायदा मिलेगा, खासकर बाहरी इलाकों और रेजिडेंशियल कॉलेजियों में रहने वाले लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। इन बसों से यात्रियों को मेट्रो स्टेशन और प्रमुख बस स्टॉप तक पहुंचाना आसान होगा। इसके साथ ही भीड़भाड़ वाले रूट्स पर बसों की उपलब्धता भी बढ़ेगी। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक बसें स्मॉल कार आरामदायक बनाएंगीं। इलेक्ट्रिक बसों के बढ़ते इस्तेमाल से दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी। इस बीच पर्सनल व्हीकल्स पर निर्भरता घटने से ट्रैफिक जाम में कमी और पर्यावरण पर अछ प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। सरकार का मकसद पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ग्रीन और एनर्जी एफिफिसिएंट बनाकर शहर की आबोहवा को बेहतर करना है।

## मानसून से पहले दिल्ली की तैयारियों की समीक्षा, यमुना तट विकास और 101 जलाशयों के पुनर्जीवन पर एलजी सख्त

नई दिल्ली ।

उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधु ने यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में डीडीए की उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए राजधानी में चल रही प्रमुख पर्यावरणीय और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में यमुना तट विकास, यमुना बाजार के पुनरुद्धार, जलाशयों के संरक्षण और मानसून पूर्व तैयारियों को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। उपराज्यपाल ने डीडीए की चल रही महत्वपूर्ण पर्यावरणीय और आधारभूत संरचना परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) की समीक्षा करते हुए परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए गए। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित और विश्वस्तरीय

राजधानी की परिकल्पना के अनुरूप यमुना रिवरफ्रंट विकास परियोजना पर विशेष जोर दिया गया। इसके साथ ही यमुना बाजार और उससे सटे घाटों के व्यापक पुनर्विकास एवं सौंदर्यीकरण की योजनाओं की भी विस्तार से समीक्षा की गई। अधिकारियों ने परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति, चुनौतियों और आगामी कार्ययोजना की जानकारी दी। उपराज्यपाल ने जल संरक्षण और पर्यावरणीय संतुलन को प्राथमिकता देते हुए प्रथम चरण के अंतर्गत 101 जलाशयों के पुनर्जीवन कार्यों की प्रगति का भी मूल्यांकन किया। द्वारका और रोहिणी में चल रही प्रमुख परियोजनाओं की स्थिति पर विशेष चर्चा हुई। अधिकारियों को निर्धारित समयसीमा के भीतर कार्य पूरा करने व गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में दिल्ली में विकसित किए जा रहे बड़े सामाजिक और

आर्थिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई। इनमें आतिथ्य, स्वास्थ्य सेवाओं, लक्जरी रिटेल और लॉजिस्टिक्स हब से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। एलजी ने कहा कि इन परियोजनाओं से दिल्ली की आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। मानसून की तैयारियों को लेकर भी बैठक में गंभीरता से चर्चा हुई। एलजी ने वर्ष 2026 की डी-सिल्टिंग कार्ययोजना की समीक्षा करते हुए जलभराव वाले संवेदनशील क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों की स्थिति जानी। साथ ही 15 जून से पहले केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष को पूरी तरह सक्रिय और तैयार रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी परियोजनाओं का समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन ही एक सुदृढ़, टिकाऊ और विकसित दिल्ली के निर्माण की आधारशिला है।

## जज ने टिंडर पर किया राइट स्वाइप, गंताए 52 लाख; न्यायिक अधिकारी के आचरण पर अदालत ने किए तीखे सवाल

नई दिल्ली ।

पटियाला हाउस कोर्ट ने टिंडर के जर्िए हुई दोस्ती और 52.81 लाख रुपये की ठगी के एक मामले में बड़ा खुलासा किया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को अदालत ने न केवल आरोपी दीपक वत्स की जमानत याचिका खारिज कर दी, बल्कि मामले की जांच एंजेंसी और हरियाणा में तैनात एक महिला न्यायिक अधिकारी के आचरण पर भी तीखे सवाल उठाए हैं। अदालत ने कहा कि ई-एफआईआर धरेलू सहायिका के नाम पर दर्ज कराई गई थी, जबकि वास्तविक पीड़िता हरियाणा की न्यायिक अधिकारी हैं। कोर्ट ने टिप्पणी की कि एक न्यायिक अधिकारी, जिससे कानून के प्रति पूर्ण निष्ठा और पारदर्शिता की अपेक्षा की जाती है, ने खुद सामने आने के बजाय अपनी धरेलू

सहायिका के नाम से शिकायत दर्ज कराई। न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा, रिकॉर्ड से दोनों पक्षों के बीच घनिष्ठ संबंधों के संकेत मिलते हैं और यह मामला उन साइबर अपराधों जैसा प्रतीत होता है जिन्हें आमतौर पर हनी ट्रैप कहा जाता है। सुनवाई के दौरान अदालत ने जांच एंजेंसी की कार्यप्रणाली पर गहरी नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि अब तक पीड़िता के मोबाइल फोन से पूरी व्हाट्सएप चैट, टिंडर चैट हिस्ट्री, कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड और अन्य महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य एकत्र नहीं किए गए हैं। आरोपी दीपक वत्स ने भी अपना मोबाइल पासवर्ड देने से इनकार कर दिया, जिससे जांच प्रभावित हुई। अदालत ने पांच लाख रुपये की नकद राशि पर भी सवाल उठाए, जो हरियाणा के नारनौल में न्यायिक अधिकारी के अदालत कर्मचारी

द्वारा जमा कराई गई थी। कोर्ट ने कहा कि धन के वास्तविक स्रोत की स्वतंत्र जांच जरूरी है। जमानत याचिका खारिज करते हुए अदालत ने जांच अधिकारी को चार सप्ताह के अंदर विस्तृत अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी दीपक वत्स ने टिंडर पर खुद को गुप्त सरकारी विभाग का अधिकारी बताकर न्यायिक अधिकारी से संपर्क किया। बाद में निवेश और अन्य बहानों से उन्होंने 52.81 लाख रुपये ट्रांसफर कराए। आरोपी का दावा है कि दोनों के बीच सहमति से संबंध थे और पैसे स्वेच्छ से दिए गए थे। अदालत ने स्पष्ट किया कि आरोपी की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को अभी जमानत नहीं दी जा सकती, लेकिन जांच में पाई गई कमियों पर भी सख्त टिप्पणी की।



## हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार

चंडीगढ़।

हरियाणा सरकार ने राय की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने और आम जनमानस को उनके घर के नजदीक ही बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में दो बड़े और महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। सरकार ने सोनीपत स्थित 200 बिस्तारों वाले नागरिक अस्पताल की क्षमता को अपग्रेड कर 300 बिस्तरीय करने और हिसार जिले के ग्रामीण क्षेत्र पनितार चक में एक नया उप-स्वास्थ्य केंद्र खोलने की आधिकारिक मंजूरी दे दी है। इस महत्वपूर्ण फैसले की जानकारी साझा करते हुए हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी राय के प्रत्येक नागरिक तक विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए पूरी तरह संकल्पबद्ध हैं। इसी विजन को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री ने इन दोनों प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई है, जिसमें सोनीपत के अस्पताल का अपग्रेडेशन विशेष रूप से शामिल है,

### सोनीपत का नागरिक अस्पताल अब होगा 300 बिस्तारों का, हिसार के पनितार चक में खुलेगा नया उप-स्वास्थ्य केंद्र

जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा इस वर्ष के बजटिय सत्र के दौरान की गई थी। सोनीपत के नागरिक अस्पताल की क्षमता में इस विस्तार से स्थानीय और आसपास के क्षेत्रों के मरीजों को बहुत बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। वर्तमान में जिला अस्पताल पर मरीजों का भारी दबाव रहता था, लेकिन अब बिस्तारों की संख्या बढ़कर 300 होने से न केवल गंभीर मरीजों को बेड के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि अस्पताल में नए बाइों का निर्माण, अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता और अतिरिक्त डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती का रास्ता भी साफ होगा। इससे मरीजों के परिवारों का आर्थिक व मानसिक

बोझ भी घटेगा। इसी तरह ग्रामीण आंचल में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की कड़ी में हिसार जिले के गांव पनितार चक को एक बड़ी सौगात मिली है। यहाँ नए उप-स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना को मुख्यमंत्री द्वारा दी गई मंजूरी से पनितार चक सहित इसके आसपास के कई गांवों के लोगों का जीवन आसान होगा। अब ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को सामान्य बीमारियों के इलाज, नियमित टीकाकरण, और मातृ-शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दूर-दराज के शहरों या बड़े नागरिक अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। उन्हें अपने ही गांव में प्राथमिक उपचार और मुफ्त दवाइयां सुलभ हो सकेंगी। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने दोहराया कि राय सरकार का मुख्य लक्ष्य समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना है, जिसके तहत शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का समान रूप से आधुनिकीकरण किया जा रहा है।

## मानसून के दौरान गुरुग्राम में इस बार नहीं होगी जलभराव की समस्या, सभी विन्हित स्थानों पर कराए गए जल निकासी के सुधारात्मक कार्य - राव नरबीर सिंह

चंडीगढ़। हरियाणा के उद्योग एवं वाणिय मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार विकास कार्यों को गति देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और सरकार के पास जनहित के कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं है। आमजन केवल नियमों और मानकों के अनुरूप अपने प्रस्ताव लेकर आएँ, सरकार उनकी समस्याओं के समाधान और विकास कार्यों के क्रियान्वयन में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। राव नरबीर कल देर सांय गुरुग्राम नगर निगम क्षेत्र के गांव मैदावास तथा धूमसपुर में 16 करोड़ रुपये से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं के शिलान्यास उपरांत आयोजित कार्यक्रमों में लोगों को संबोधित कर रहे थे। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार की नीति और नियत दोनों ही स्पष्ट हैं। सरकार का उद्देश्य विकास की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक

पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम तेजी से विकसित हो रहा शहर है और यहां की आधारभूत संरचना को और मजबूत बनाने के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष बरसात के दौरान जलभराव की समस्या वाले 158 स्थानों की पहचान की गई थी। इन सभी स्थानों पर संबंधित विभागों द्वारा विशेष अभियान चलाकर जल निकासी के आवश्यक सुधारात्मक कार्य किए गए हैं। ड्रेनेज व्यवस्था को मजबूत करने, नालों की सफाई तथा अन्य आवश्यक कार्यों के कारण इस वर्ष शहरवासियों को जलभराव की समस्या से काफी हद तक राहत मिलेगी। राव नरबीर सिंह ने कहा कि विकास केवल सड़कों, भवनों और अन्य परियोजनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण भी उतना ही महत्वपूर्ण विषय है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में मानसून का मौसम शुरू होने वाला है, इसलिए

प्रत्येक नागरिक को पौधारोपण अभियान से जुड़ना चाहिए। उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति प्रतिदिन जितनी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है, उसे अवशोषित करने के लिए लगभग 14 पेड़ों की आवश्यकता होती है। ऐसे में यदि हम पर्यावरण संरक्षण के प्रति गंभीर नहीं होंगे तो आने वाली पीढ़ियों को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने उपस्थित लोगों से अपने घरों, खेतों, संस्थानों और सार्वजनिक स्थलों पर अधिक से अधिक पौधे लगाने तथा उनकी देखभाल करने का संकल्प लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि विकास और पर्यावरण संरक्षण दोनों को साथ लेकर चलना ही समय की आवश्यकता है। इस अवसर पर गुरुग्राम की मेयर रजजानी मल्होत्रा, क्षेत्र के गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे।

## आमजन को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने में अधिकारी निभाएं जिम्मेदारी - राव नरबीर सिंह



चण्डीगढ़। हरियाणा के उद्योग, वाणिय, वन एवं पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा है कि आमजन को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने में अधिकारी जिम्मेदारी निभाएं और सरकार की सेवाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। राव नरबीर सिंह आज झरर में जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। परिवेदना समिति की बैठक में कुल 16 परिवार रखे गए, जिनमें से 10 का मौके पर निपटान किया गया। परिवेदना समिति की बैठक में उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि मानसून सीजन शुरू होने से पहले झरर जिला के सभी सड़क मार्गों को दुरुस्त किया जाए। जहां भी सड़क पर गड्ढे बने हुए हैं, उनकी मरम्मत का कार्य तुरंत प्रभाव से किया जाए। गांव भंभेवा निवासी रामनिवास ने शिकायत रखी कि

उनकी गली में कुछ लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ है। बेरी के बीड़ीपीओ ने बताया कि इस कब्जे का हटा दिया गया है। राव नरबीर सिंह ने निर्देश दिए कि भविष्य में दोबारा कब्जा हो तो दोषी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। गांव महाराना निवासी धर्मवीर सिंह ने बताया कि उनके घरों के आसपास दूषित जलभराव की समस्या बनी हुई है। वन एवं पर्यावरण मंत्री ने कहा कि एक सप्ताह में यहां मिट्टी की भरत कर समस्या का निवारण किया जाए। बैठक में गांव डीघल निवासी बुधराम ने बताया कि चार साल पहले उसके भाई का सरकारी अस्पताल में उपचार के दौरान निधन हो गया था। इस मामले में शिकायत की गई तो जिला स्तर पर गठित किए गए बोर्ड से उसकी जांच करवाई गई, जिससे वह संतुष्ट नहीं है। उद्योग मंत्री ने कहा कि उपायुक्त अपने स्तर पर एक बार इस मामले का परीक्षण करें। मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि सिंचाई विभाग, बिजली विभाग, पंचायती राज, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि बारिश के दौरान किसी गांव में जलभराव ना होने पाए। उन्होंने गांवों के जोहड़ और पंचायती भूमि से नाजायज कब्जे हटवाने के भी निर्देश दिए।

## हरियाणा जल्द बनेगा आलू के प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए एक नैशनल-हब- श्याम सिंह राणा

चंडीगढ़। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि हरियाणा जैसे तो पहले ही कृषि और बागवानी के क्षेत्रों में एक अग्रणी राय है और अब यह उच्च गुणवत्ता वाले प्रमाणित बीज आलू के उत्पादन के लिए एक नैशनल-हब बनने की दिशा में काम कर रहा है। वे आज यहां हरियाणा के बागवानी विभाग द्वारा हरियाणा टिशू कल्चर-आधारित बीज आलू अधिनियम, 2026, एफपीओ (किसान उत्पादक संगठन) मिशन और हरियाणा उद्यानिकी नीति पर केंद्रित एक राय स्तरीय कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि सम्बोधित कर रहे थे। इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विजयेंद्र कुमार, बागवानी निदेशालय के विभागाध्यक्ष श्री अर्जुन सैनी के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारी, वैज्ञानिक, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, एफपीओ प्रतिनिधि, प्रगतिशील किसान और बीज आलू उत्पादक मौजूद रहे। श्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि प्रस्तावित हरियाणा टिशू कल्चर-आधारित बीज आलू अधिनियम, 2026 राय में रोग-मुक्त, उच्च गुणवत्ता वाले और ट्रेस करने योग्य (ट्रेसेबल) बीज आलू के उत्पादन को बढ़ावा देगा, जिससे किसानों को बेहतर मूल्य मिलने के साथ-साथ नए बाजारों तक पहुंच भी



सुनिश्चित होगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देश भर में गुणवत्तापूर्ण बीज आलू की मांग लगातार बढ़ रही है, लेकिन इसकी उपलब्धता अभी भी सीमित है। इस प्रस्तावित अधिनियम का उद्देश्य टिशू कल्चर, एथरोपोनिक्स और अन्य आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके बीज आलू उत्पादन के लिए एक वैज्ञानिक प्रणाली स्थापित करना है, जिससे प्रमाणित बीज उत्पादन और विपणन में किसानों के लिए नए अवसर पैदा होंगे। कार्यशाला के दौरान अधिकारियों और विशेषज्ञों ने बताया कि हरियाणा में लगभग 33,000 हेक्टेयर क्षेत्र में आलू की खेती की जाती है और राय में बीज आलू उत्पादन की अपार संभावनाएं

हैं। इस प्रस्तावित अधिनियम के लागू होने के बाद, राय में गुरुआती वर्षों के भीतर लगभग 10 लाख किंटल प्रमाणित बीज आलू उत्पादन करने की क्षमता विकसित हो सकती है; इससे न केवल राय की अपनी जरूरतें पूरी होंगी, बल्कि अन्य रायों को भी गुणवत्तापूर्ण बीजों की आपूर्ति की जा सकेगी। इस कार्यशाला में एफपीओ मिशन पर भी विस्तृत चर्चा की गई। विशेषज्ञों ने समझाया कि सामूहिक विपणन, प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग), भंडारण और मूल्यवर्धन (वैल्यू एडिशन) जैसी सुविधाएं प्रदान करके किसानों की आय बढ़ाने में एफपीओ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राय सरकार एफपीओ को सशक्त बनाने और उन्हें कृषि

### -हरियाणा टिशू कल्चर-आधारित बीज आलू अधिनियम, 2026, एफपीओ (किसान उत्पादक संगठन) मिशन और हरियाणा उद्यानिकी नीति पर केंद्रित राय स्तरीय कार्यशाला आयोजित

व्यवसाय से जोड़ने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सहयता प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त, आधुनिक बागवानी, संरक्षित खेती, उच्च मूल्य वाली फसलों और निर्यात-उन्मुख उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा उद्यानिकी नीति के तहत किसानों को मिलने वाले प्रोत्साहनों और सुविधाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। कार्यशाला के दौरान वैज्ञानिकों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, एफपीओ सदस्यों और प्रगतिशील किसानों ने प्रस्तावित अधिनियम पर अपने सुझाव और विचार प्रस्तुत किए। विभाग की ओर से आश्वासन दिया गया कि इस अधिनियम को अधिक प्रभावी और किसान-अनुकूल बनाने के लिए प्राप्त सुझावों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा।

## प्रबुद्धजनों के सुझावों से और मजबूत होगा विकसित भारत का संकल्प - राव इंद्रजीत सिंह

(संवाददाता)

चंडीगढ़। केंद्रीय राय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में प्रबुद्धजनों, विशेषज्ञों और समाज के विभिन्न वर्गों की सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके सुझावों और अनुभवों से देश के विकास को नई दिशा और गति मिलती है। केंद्रीय राय मंत्री ने शुक्रवार को गुरुग्राम में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सेक्टर-17 स्थित ब्लिस प्रीमियर गार्डन में आयोजित प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने

पिछले 12 वर्षों में पारदर्शी, जवाबदेह और जनकेंद्रित शासन व्यवस्था स्थापित की है। सरकार का लक्ष्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। सम्मेलन में उद्योग, शिक्षा, खेल, सामाजिक एवं अन्य क्षेत्रों से जुड़े बुद्धिजीवियों और प्रबुद्ध नागरिकों के साथ केंद्र सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों तथा भविष्य की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा भी की गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने उपस्थित प्रबुद्धजनों से विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यक सुधारों और विकास कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाने के

संबंध में सुझाव भी आमंत्रित किए। चर्चा के दौरान उपस्थित बुद्धिजीवियों ने देश में आधारभूत ढांचे के अभूतपूर्व विस्तार, डिजिटल क्रांति, कर प्रणाली में सुधार तथा जीएसटी व्यवस्था को सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में केंद्र सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। साथ ही उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, कौशल विकास तथा नागरिक सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए अपने विचार एवं सुझाव भी साझा किए। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि विकसित भारत का संकल्प तभी साकार होगा जब सरकार और समाज मिलकर कार्य करेंगे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

के नेतृत्व तथा देशवासियों के सहयोग से भारत आने वाले वर्षों में विश्व की अग्रणी शक्तियों में और अधिक मजबूती के साथ अपनी पहचान स्थापित करेगा। केंद्रीय मंत्री ने गुरुग्राम में महाराणा प्रताप स्वर्ण जयंती पार्क (लेजर वैली) में 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत पौधारोपण भी किया। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को समय की आवश्यकता बताते हुए नागरिकों से अधिक से अधिक पौधे लगाने तथा उनकी देखभाल करने का आह्वान किया। इसके उपरांत केंद्रीय राय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में स्वास्थ्य विभाग एवं आयुष विभाग

द्वारा गुरुग्राम में सेक्टर-14 स्थित कम्युनिटी सेंटर में आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य जांच एवं रक्तदान शिविर का निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्होंने शिविर में उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सेवाओं का अवलोकन किया तथा विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा नागरिकों को दी जा रही परामर्श एवं जांच सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की। केंद्रीय मंत्री ने स्वास्थ्य जांच करवाने पहुंचे नागरिकों तथा स्वेच्छ से रक्तदान करने वाले युवाओं से संवाद करते हुए उनके योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि नियमित स्वास्थ्य जांच से अनेक गंभीर बीमारियों की समय खते पहचान संभव होती है, जिससे

प्रभावी उपचार सुनिश्चित किया जा सकता है। उन्होंने रक्तदान को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि एक यूनिट रक्त कई लोगों का जीवन बचाने में सक्षम सिद्ध हो सकता है। उन्होंने युवाओं से समाजहित में आगे आकर रक्तदान जैसे पुनीत कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। आयुष्मान भारत योजना, जन औषधि केंद्र, आयुष सेवाओं के विस्तार और स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत बनाने जैसे प्रयासों से देश के करोड़ों नागरिक लाभान्वित हो रहे हैं।

